छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 280/2007</u>

श्री इंदरचंद सोनी,
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 18 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचंद सोनी के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग को जानकारी प्रदान करने के लिए दिनांक 13–09–2007 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 09–01–2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी प्रकरण में सुनवाई न किये जाने के कारण दिनांक 06–03–2007 को छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण कर आवेदक को एक सप्ताह के अन्दर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–20(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को 5,000/– रुपये आरोपित क्यों न की जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के संबंध में संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ को लिखे जाने का आदेश दिया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रथम अपील में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई। अतः संचालक उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। जन सूचना अधिकारी यह बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में संबंधित शाखाओं से जानकारी प्राप्त करने हेतु उन्हें पत्र लिखा गया किन्तु संबंधित शाखा प्रभारियों के द्वारा जानकारी भेजने में विलम्ब किया गया। अतः आयोग ने निर्देश दिये कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–20(2) के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारी लेखा शाखा, विकास शाखा, मुख्य लिपिक तथा जिला अंधत्व, कुष्ठ, क्षय, मलेरिया जिला समितियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। ?

3/ जन सूचना अधिकारी के द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर दिया गया। इस उत्तर के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। अब इस प्रकरण में केवल यह निर्णय लिया जाना है कि जन सूचना अधिकारी क्या जानकारी विलम्ब से प्रदान करने के लिए दोषी हैं तथा क्या उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

4/ जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि संबंधित शाखाओं को उनके द्वारा दिनांक 17–10–2006 को पत्र भेजे गये। दिनांक 30–12–2006 को स्मरण–पत्र भेजा गया। जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 09–02–2007 को अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई गई। पुनः आवेदक को दिनांक 29–08–2007 को जानकारी उपलब्ध कराई गई। जन सूचना अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील भी निर्धारित सीमा के बाहर दिनांक 09–01–2007 को प्रस्तुत की। जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि उसे जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई है, अतः व्यक्तिगत रूप से वह जानकारी विलम्ब से उपलब्ध कराने के लिये दोषी नहीं है। क्योंकि वह जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयास करता रहा। संबंधित शाखाओं से जानकारी मिलने पर ही अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि जन सूचना अधिकारी ने उसे विलम्ब से जानकारी दी है। यदि उसके आवेदन में कोई त्रुटि थी तो उसे जन सूचना अधिकारी के द्वारा अवगत कराना था। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है। अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर संबंधित शाखा प्रभारियों को जानकारी भेजने हेतु पत्र भेजे गये तथा स्मरण–पत्र भी दिये गये। तथा जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई या जानकारी विलम्ब से दी गई है। अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कई आवेदन दिये हैं तथा अनेक प्रकार की जानकारी चाही है, इससे भ्रम भी उत्पन्न हुआ है। उक्त जानकारियाँ बहुत ही विस्तृत रूप से माँगी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी जानबूझकर जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को परेशान करने के लिए जानकारी ले रहा है। अपीलार्थी ने इसी संबंध में आयोग में भी जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनेक अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग जन सूचना अधिकारी को परेशान करने का प्रतीत होता है। चूँकि अपीलार्थी को समस्त वांछित जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी है तथा जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है, अतः उन पर अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

6/ आयोग के आदेश दिनांक 17–07–2007 इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संबंधित शाखा प्रभारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया

गया है। उन्हें पुनः उपरोक्तों के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करावें। अपीलार्थी ने स्वयं क्षतिपूर्ति नहीं लेने की इच्छा जाहिर की है, अतः क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के आदेश नहीं दिये जा रहे हैं।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त